रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 1972/पौष 21, 1893

No 18] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 1972/PAUSA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 11th January 1972

G.S.R. 23(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 1342/Ess. Com./Sugar, dated the 14th September, 1971, namely:—

To the said Order, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that nothing in this Order shall apply to the sale or despatch of sugar—

(i) on Government account; or

(ii) to the nominee of a State Government or an officer authorised by it for distribution through fair price shops; or

(iii) to the Food Corporation of India."

[No. 1-13/71(i)-S.Py.]

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 23(अ)/आ० व०/शर्करा.—शर्करा (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश संख्या सा० का० नि० 1342/आ० व०/शर्करा तारीख 14 सितम्बर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"परन्तु इस आदेश में की कोई बात —

(i) सरकार के हिसाब में, या

(ii) राज्य सरकार के नाम निर्देशित या उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को,

(iii) भारतीय खाद्य निगम को,

विक्रय की गई या भेजी गई शर्करा पर लागू नहीं होगी ।

[सं० 1-13/71(i)-एस०पी० वाई०]

G.S.R. 24(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 1251/Ess.Com./Sugar, dated the 30th August, 1971, namely:—

To the said Order, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that nothing in this Order shall apply to the holding of stock of sugar—

(i) on Government account; or

(ii) by the recognised dealers nominated by the State Government or an officer authorised by it to hold such stock for distribution through fair price shops; or

(iii) by the Food Corporation of India".

[No. 1-13/71(ii)-S. Py.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

सा०का०नि० 24(अ)/आ०व०/शर्करा.— शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश संख्या सा० का०नि० 1251/आ०व०/शर्करा, तारीख 30 अगस्त, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"परन्तु इस आदेश में की कोई बात :—

(i) सरकार के हिसाब में, या

(ii) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त व्यवहारी या उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए इस प्रकार के स्टाक को रखने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, या

(iii) भारतीय खाद्य निगम द्वारा,

रखे गए शकेरा के स्टाक पर लागू नही होगी ।"

[स० 1-13/71(ii) एस०पी०आई]

एस० बी० सपथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972